संख्या-21/2017/क0नि0-4-1449/11-2017-300(35)/2010

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक दिसम्बर, 2017

विषयः- जनपद संतकबीर नगर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2017-18/677/ वाणिज्य कर दिनांक-14.11.2017 एवं शासन के पत्र संख्या-9/2015/क0नि0-4-1417/ 11-2014-300(35)/2010, दिनांक-17.02.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीर नगर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0-235.39 आंकलित किये जाने तथा प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत रू0-171.04लाख के सापेक्ष रू0-64.35लाख की वृद्धि होने तथा उक्त परियोजना के पूर्णता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष-2017-18 में रूपये-64.35लाख (रूपये-चौंसठ लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बीएम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित कर दी गयी है। उक्त धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. जिस मानक मद से प्रस्ताव किया गया है उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. पुनर्विनियोग करायी जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
3. उपर्युक्त पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के प्रयोजन से किया जा रहा है। भुगतान के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्य कर वित्तीय नियमों के अनुसार परीक्षण करते हुये सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही करेंगें।
4. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

7. मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/आयुक्त वाणिज्य कर का होगा।

8. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रस्तावित कार्य पूर्व किसी अन्य योजना से नहीं कराया गया है, न ही किसी अन्य योजना में प्रस्तावित है।

9. उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1304-जनपद संतकबीर नगर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या-21/2017/क0नि0-4-1449(1)/11-2017, तद् दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, संतकबीर नगर,उ0प्र0।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

5- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-20 सी0एण्ड डी0एस0जल निगम, संतकबीर नगर।

6- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी(बजट)।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in